FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान कासम बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर सी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/119/2023 दायर दिनांक 08.06.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2023	पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप रजि0 नम्बर आरजे 40 जीए 2254 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थानाधिकारी अकबरपुर, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1576 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्ररकण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 28.08.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर अलवर	

२५/६/१३

वादीगण पक्षों के प्रार्थना-पत्र पर पत्रा० तलब होकर पेश हुई। वादी पक्ष ने निर्धारित राशि के समान स्टाम्प पेपर पेश किये जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये। जिनकी फोटो प्रति संबंधित उप० को वापस [illegible] पर देने हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली बाद तामील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)